वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड (CIN No. U65999RJ2017PLC059619)

WONDER HOME FINANCE Zindagi Ki Perfect Shuruaat

कॉर्पोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

मैसर्स वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारियों द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के तहत ऋणियों से देय राशि की वसूली के लिए, अधिकारियों द्वारा उल्लिखित सुरक्षित सम्पत्ति का अधिकार लेने के अनुसरण में अचल संपत्ति खरीदने के लिए मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णित है, जैसा है जहां है आधार पर, ''जैसा है जो है आधार पर'' और ''जो कुछहै आधार पर नीलामी की जाएगी जो कि भोतिक कब्जे में है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

खाता संख्या/ ऋणी, सहऋणी / गारंटर	मांग सूचना की दिनांक एवं राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूलय	बयाना धन जमा	दिनांक व कुल बकाया राशि	नीलामी का स्थान
(ऋण खाता संख्या) LN34079HP23-24018886, श्री गौरव कुमार सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह (ऋणी), श्रीमती कुसुमा देवी पत्नी श्री निहाल सिंह (गारंटर), श्री मोहन सिंह बिष्ट (गारंटर)	18-अप्रैल-2025 22,28,775/- बाइस लाख अठ्ठाईस हजार सात सौ पचहत्तर रुपये मात्र, 11-अप्रैल-2025 तक भौतिक कब्जा 25-सितम्बर-2025	श्री गौरव कुमार सिंह की की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नंबर 396 मिन, नारायण विहार कॉलोनी, कॉलोनी, चंद्रा कोचिंग सेंटर के पास, श्रीरामपुर, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263160, क्षेत्रफल लगभग 1200.00 वर्ग फीट	Rs. 18,73,920/- अठ्ठारह लाख तेहत्तर हजार नौ सौ बीस रुपये मात्र	Rs. 1,87,392/- एक लाख सत्तासी हजार तीन सौ बानवे रुपये मात्र	Rs. 25,85,386.80 दिनांक 12-03-2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017
(ऋण खाता संख्या) LN34079HP24-25024019, श्री श्याम पुकार पासवान पुत्र श्री राज कुमार पासवान (ऋणी), श्रीमती श्यामपती देवी पत्नी श्री राजकुमार पासवान (सहऋणी)	14-मई-2025 13,95,787/- तेरह लाख पिचानवे हजार सात सौ सत्तासी रुपये मात्र, 12-मई-2025 तक भौतिक कब्जा 25-सितम्बर-2025	श्री श्याम पुकार पासवान की संपत्ति निर्माण भूमि, बिल्डिंग, ढांचा, सहित के सभी अभिन्न अंग स्थित खसरा नंबर 19, 384, 378, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 397, 398, ग्राम श्रीरामपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-263160, क्षेत्रफल लगभग 1089.00 वर्ग फीट	Rs. 14,95,040/- चौदह लाख पिचानवे हजार चालीस रुपये मात्र	Rs. 1,49,504/- एक लाख उनचास हजार पांच सौ चार रुपये मात्र	Rs. 16,65,507.54 दिनांक 12-03-2026 आगे के ब्याज, दण्डात्मक ब्याज, लागते एवं शुल्कों सहित, भुगतान की तिथि तक	620, छटवी मंजिल, उत्तर ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, जयपुर, 302017

नीलामी दिनांक 30.03.2026, बोली जमा कराने की अंतिम दिनांक 28.03.2026, सायं 5:00 बजे तक, निरीक्षण की दिनांक एवं समय 26.03.2026 (कार्यालय समय में)

निविदा की शर्तें :-

(1) निविदा में सहभागिता करने हेतु इच्छुक खरीददार अपनी निविदा कम्पनी में उपलब्ध उपरोक्त संपत्ति के निविदा प्रपत्र जो कार्य दिवस के समय वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किए जा सकते हैं, में अपने द्वारा निवेदित मूल्य लिखकर सील बन्द लिफाफे में जिसके ऊपर ''टेण्डर ऑफर सम्पत्ति का विवरण'' लिखा हो के साथ उपरोक्त वर्णित धरोहर राशि जो की आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत हो, बैंकर्स चैक/मॉग ड्राफ्ट जो कि वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में जमा करा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। प्राप्त निविदाऐंवंडर होम फाइनेंस लिमिटेड पर उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। इसके पश्चात् निविदा कर्ताओं के बीच खुली बोली लगवाने का विकल्प प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि बोली सफल नहीं होती है तो असफल निविदाकर्ताओं को उसी दिन धरोहर राशि लौटा दी जायेगी। (2) सफल निविदाकर्ता को सफल बोली की 10 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि सहित) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सफल निविदाकर्ता के नाम की उद्घोषणा करने के तुरन्त पश्चात, जमा करवाना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। (3) सफल निविदाकर्ता को शेष राशि विक्रय की पुष्टि के दिन से 30 दिन के अन्दर प्रतिभूत लेनदार को जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा जमा राशि बिना सूचना जब्त समझी जायेगी। (4) सम्पत्ति अथवा निविदा से संबंधित जानकारी हेतु इच्छुक निविदाकर्ता, 9828999412 पर किसी भी कार्य समय के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं या कार्यालय समय के दौरान उपरोक्त शाखा कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट:-यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिए भी नियम 8(6) के अधीन 15 दिवस का सूचना पत्र भी माना जायेगा।

दिनांक: 13-03-2026 स्थानः उत्तराखण्ड **प्राधिकृत अधिकारी वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड**

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015
शाखा कार्यालयः नं. 286, दूसरी मंजिल, पॉकेट–1, सेक्टर–25, रोहिणी, नई दिल्ली–110085
ई–मेलः auction@hindujahousingfinance.com

आरएलएम– आकाश मेदीरत्ता – 9625339424 • सीएलएम – सन्नी मलिक – 9654130749

परिशिष्ट–IV–ए [देखें नियम 8(6) का प्रावधान] अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (यहाँ आगे "नियमावली" कहा गया है) के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (यहाँ आगे "अधिनियम" कहा गया है) के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस।

एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में उल्लिखित कर्जदारों और जमानतियों से प्रत्याभूत लेनदार को देय बकाया की वसूली के लिए प्रत्याभूत लेनदार को बंधक/प्रभारित अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** (प्रत्याभूत लेनदार), **कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167–169, दूसरी मंजिल, लिटल माउंट, सैदापेट, चेन्नई–600015 और शाखा कार्यालयः नं. 286, दूसरी मंजिल, पॉकेट–1, सेक्टर–25, रोहिणी, नई दिल्ली–110085** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, की "जहाँ है जैसी है", "जो है, जहाँ है", "जो भी है" आधार पर अधोलिखित तारीखों को बिक्री की जायेगी।
बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर दिए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जायेगी।

संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	: 07.04.2026 – 08.04.2026, अप. 14:00 बजे – अप. 17:00 बजे तक
ईएमडी जमा की अंतिम तिथि	: 10.04.2026, समय अप. 17:00 बजे तक
ई–नीलामी की तिथि/समय	: 13.04.2026, समय पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 13:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या और कर्जदार(ओं)/सह–कर्जदार(ओं)/जमानती(ओं) के नाम	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तारीख और राशि / कुल बकाया राशि दिनांक को	कब्जे की तारीख और प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	ऋण खाता सं. DL/DEL/PAND/A000000251 श्री मुकुल चौधरी (कर्जदार) श्री ब्रजेश ब्रजेश (सह–कर्जदार)	31.05.2022 और रु. 46,77,964/– / रु. 67,10,079/– दि. 09.03.2026 को	19.10.2022 सांकेतिक कब्जा	रु. 45,15,750/– / रु. 4,51,575/– / रु. 10,000/–

अचल संपत्ति का विवरणः खसरा नंबर 1062, माप 100 वर्ग गज अर्थात 83.61 वर्ग मीटर, प्रीत विहार कॉलोनी, धारगल गाँव, परगना जलालाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सीमाएँः पूर्व– मनोज त्यागी का प्लॉट, पश्चिम– महेश त्यागी का प्लॉट, उत्तर– श्री नरेंद्र (सभासद) का प्लॉट, दक्षिण–18 फीट रोड

भुगतान की विधिः– दिल्ली में देय **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें– **1.** संपत्ति को "जहाँ है जैसी है", "जो है, जहाँ है", "जो भी है" और "कोई वापसी नहीं" आधार पर बेचा जा रहा है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। **2.** संपत्ति/परिसंपत्तियों का ब्योरा अर्थात ई–नीलामी बिक्री सूचना में निर्दिष्ट विमा, सीमा और माप को प्रत्याभूत लेनदार की सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी में दिया गया है और प्रत्याभूत लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत कथन अथवा चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। वास्तविक सीमाएं और विमाएं भिन्न हो सकते हैं। **3.** प्रत्याभूत लेनदार द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री सूचना आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रत्याभूत लेनदार की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता अथवा कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं करता है और न ही ऐसा माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्याभूत लेनदार के पास स्वामित्व विलेखों को जांच लें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/देयों के बारे में स्वयं स्वतंत्र जांच/उचित पड़ताल करें। 4. नीलामी/बोली केवल वेबसाइटः auction@hindujahousingfinance.com और https://www.bankeauctions.com/ या सेवा प्रदाता **सी1 इंडिया प्रा. लि.** जो नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगा, के ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" माध्यम से की जाएगी। 5. बोलीकार अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी स्वयं बोली लगाने वाले द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, अपने सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए प्रत्याभूत लेनदार/सेवा प्रदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई–नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 605ए, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 68 सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003 से संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबरः 7080804466, ई–मेलः delhi@c1india.com, सहायता मोबाइल नं.:–7291981124/1125/1126)। **7.** ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को https://www.bankeauctions.com/ और auction@hindujahousingfinance.com पर समय से ही अपना नाम पंजीकृत करवा लेना चाहिए, जिसके बाद उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही वे उसे तुरंत बदल लें। **8.** ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्रतिदेय धरोहर राशि जमा (ईएमडी) जमा करना होगा, जो कि आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर बताया गया है) होगा। **9.** बोली लगाने के इच्छुक लोगों को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (इसका फॉर्मेट https://www.bankeauctions.com/ और auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध है) को ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट सहित एक सीलबंद लिफाफे में रखकर प्राधिकृत अधिकारी को हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कार्यालयः नं. 286, दूसरी मंजिल, पॉकेट–1, सेक्टर–25, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 पर जमा करना चाहिए। 10. सीलबंद लिफाफे पर "संपत्ति (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है)" के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली" लिखा होना चाहिए। ईएमडी के साथ बोलियों को जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच की जाएगी और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से ऊपर और प्रत्याभूत लेनदार को निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को की जायेगी ताकि वे ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तारीख और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दें। **11.** पात्र बोली लगाने वालों के बीच परस्पर बोली की शुरुआत, पात्र बोलीकारों द्वारा लगाई गई सबसे ऊँची बोली से होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात अगली बोली के अंतिम समय पर। यदि पिछले विस्तार से "10" मिनट के भीतर बोली की जाती है तो नीलामी को प्रत्येक बार स्वतः "10" मिनट तक बढ़ाया जाएगा। **12.** एक बार की गई बोलियाँ रद्द या वापस नहीं ली जाएंगी। बोलीकार को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां केवल उसी द्वारा लगाई गई मानी जाएंगी। **13.** ई–नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोली लगाने वाला अपने द्वारा की गई बोली की अंतिम राशि को प्राधिकृत अधिकारी को ईमेल आईडीः sunnymalik@hindujahousingfinance.com पर और सेवा प्रदाता को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में उच्चतम बोलीकार होने की घोषणा करने के लिए पुष्टि करेगा। **14.** सफल बोलीकार तुरंत, यानी उसी दिन या अगले कार्य दिवस से अधिक नहीं, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा राशि का भुगतान बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को करें, जिसमें जमा की गई धरोहर जमा राशि भी शामिल है। खरीद मूल्य की देय शेष राशि बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले भुगतान करनी होगी। **15.** निर्धारित समय के भीतर सफल बोलीकार/नीलामी क्रेता द्वारा उपरोक्त निर्धारित राशि के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री पर रखा जाएगा। **16.** सफल बोलीकार के अनुरोध पर, अधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से, बोली की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में और समय दे सकता है। **17.** सफल बोलीकार को लागू टीडीएस (बिक्री से प्राप्त राशि से) का भुगतान करना होगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। **18.** नगरपालिका / पंचायत कर, बिजली का बकाया (यदि कोई हो) और अन्य प्राधिकरणों के किसी भी देय राशि (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीकार को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक देय राशि को ध्यान में रखते हुए बोलियां लगाई जानी चाहिए। **19.** बिक्री प्रमाणपत्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीकार के पक्ष में तभी जारी किया जाएगा, जब पूरी खरीद राशि/बोली राशि जमा कर दी जाएगी और सभी करों/शुल्कों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएँगे। **20.** हस्तांतरण, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्कों के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी खरीदार द्वारा वहन किए जाएँगे। **21.** प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि ई–नीलामी बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले बिक्री को किसी बाद की तारीख के लिए स्थगित किया जाता है, तो इसकी जानकारी सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। **22.** प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। **23.** जिन सभी बोली लगाने वालों ने बोलियाँ जमा की हैं, यह माना जाएगा कि उन्होंने ई–नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, और वे उनसे बाध्य होंगे। **24.** अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, **श्री सन्नी मलिक, मोबाइल नंबर 9654130749** से शाखा कार्यालय – हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कार्यालय संख्या– 286, दूसरी मंज़िल, पॉकेट–1, सेक्टर–25, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 पर संपर्क करें। **25.** यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अनुसरण में उपरोक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में **15(पंद्रह) दिनों** का नोटिस भी है।

दिनांकः 14.03.2026, स्थानः दिल्ली–एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश/सावधानियाँः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाताओं की ओर से किसी भी चूक / असफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैक–अप और जो कुछ भी आवश्यक हो, करें ताकि वे ऐसी किसी अप्रिय स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001, फोन : 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com
जनकपुरी शाखाः–सी–2/21, प्रथम तल, माता चानन देवी रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
फरीदाबाद शाखाः–पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एससीओ नंबर–136, पहली मंजिल, हुडा मार्केट, इलाहाबाद बैंक के ऊपर, सेक्टर–21 सी, फरीदाबाद, हरियाणा–121003

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को मांग सूचना/एं जारी की थी, जिसमें संबंधित कर्जदार/रों से, प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित बकाया राशि, सूचना/ओं की तिथि/उक्त सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।
चूंकि कर्जदार बकाया राशि चुकाने में विफल रहा है/रहे हैं, अतः कर्जदार/रों तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा प्रत्येक खाते के समक्ष वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।
एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार/रों को तथा जनसाधारण को सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार उक्त बकाया राशि एवं उस पर ब्याज हेतु पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
HOU/JAN/0816/307760, बी.ओ.: जनकपुरी	श्रीमती प्रीति गोगिया और श्री जितेंद्र कुमार गोगिया	20.11.2025	रु. 29,47,665.15/– (रुपये उनतीस लाख सैंतालीस हजार छह सौ पैंसठ और पंद्रह पैसे मात्र)	10.03.2026 (प्रतीकात्मक कब्जा)	प्राइमरी–207,2, टॉवर–ए, एसकेए ग्रीन मेंशन, जीएच–01 एन, सेक्टर–12, अमात्रा ग्रीन, गौतम बुद्ध नगर,ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत–201301.
HOU/FBD/1120/831473, बी.ओ.: फरीदाबाद	स्वर्गीय श्री श्याम लाल के सभी कानूनी वारिस/श्रीमती ज्योति/श्री राहुल मेहरा/श्री मेहुल मेहरा और सुश्री मानसी मेहरा	27.11.2025	रु. 13,65,031.19/– (रुपये तेरह लाख पैंसठ हजार इकतीस और उन्नीस पैसे मात्र)	10.03.2026 (प्रतीकात्मक कब्जा)	फ्लैट नंबर 401, चौथी मंजिल, द वर्क को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नंबर जीएच–03, सेक्टर–48, फरीदाबाद, हरियाणा–121001.

स्थानः दिल्ली एनसीआर, दिनांकः 10.03.2026 प्राधिकृत अधिकारी, (वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, द्वितीय तल, 25–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 फोन : 0522–4272777, 6673726, फैक्सः 0522–2205106
CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 धारा 13(2) के अन्तर्गत

जैसा कि, (माननीय एनसीएलटी–मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना जारी कर जहां नीचे सूचीबद्ध ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित मांग सूचना/ सूचनाओं में वर्णित राशि को वापस लौटाने के लिये कहा था। अधोहस्ताक्षरी ने उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते के परिसरों में भी इन सूचनाओं को चिपकवाया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, तथा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों यदि वे ऐसा चाहें, उक्त प्रतियों को किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय अवधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतद्द्वारा उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त ऋणी द्वारा निष्पादित लिखित में, यदि कोई हो, किसी भी अन्य दस्तावेजों के साथ पठित ऋण अनुबंध के अंतर्गत कॉलम सी में नीचे वर्णित तिथि से भुगतान एवं/अथवा उगाही की तिथि तक उक्त मांग सूचना में वर्णित लागू होने योग्य दरों पर आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शायी गयी राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर **एचडीएफसी** को भुगतान कर दें। ऋण की देय पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त ऋणी द्वारा **एचडीएफसी** के पास निम्नलिखित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बन्धक रखा गया है:
ऋणी/उधारकर्ता (ओं)/कानूनन वारिस (ओं) /कानूनन प्रतिनिधि (यों) का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13 की उप–धारा(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में प्रतिभूत परिसम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र0 सं0	उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया धनराशि (रु0)*	मांग सूचना की तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति/अचल सम्पत्ति का विवरण
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1	**श्री उदय बीर सिंह** मकान नं0 16/8, एसएम क्वार्टर, निकट वीरांगना बरेली एचओ, चौक बरेली	**21,28,496/–** दिनांक 31.01.2026 तक	06.03.2026	प्लाट नं0 72, 73, क जुज मिन पर मकान, खसरा नं0 455 का भाग, कन्धारपुर (कालोनी–रामेश्वर धाम) परगना, तहसील/जिला बरेली
2	**श्री अरूण कुमार सिंह श्रीमती ज्योति सिन्हा** डी ब्लाक 517/7, इंदरा नगर, निकट अजन्ता स्वीट्स, बरेली	**23,83,321/–** दिनांक 31.01.2026 तक	06.03.2026	खसरा नं0 215/1 के भाग पर प्लाट नं0 20–ए, 21–ए पर मकान, गांधीपुरम कालोनी फेज–1, सुरखा छावनी, बरेली

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू दर से ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क सहित। यदि, उक्त ऋणदाता **एचडीएफसी** को उपरोक्त भुगतान करने में विफल होते हैं, तो इस अधिनियम की धारा 13(4) लागू होने योग नियमों के अंतर्गत **एचडीएफसी** लागतों एवं परिणामों के संदर्भ में उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/ कानूनन प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर ऊपर प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियां के प्रति आगे की कार्रवाई करेगी।
इस अधिनियम के अंतर्गत **एचडीएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त ऋणी/उधारकर्ता/कानूनन वारिसों/कानूनन प्रतिनिधियों बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का अंतरण नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करते हैं अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों का उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत कैद एवं/अथवा दंड हो सकता है।

दिनांकः 14.03.2026
स्थान : बरेली
पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई–400 020
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

SATYA Micro Housing Finance Private Ltd

कॉर्पोरेट कार्यालयः सातवीं मंजिल, प्रियस हाइट्स, सेक्टर 125, नोएडा - 201303
पंजीकृत कार्यालयः 519, पांचवीं मंजिल, डीएलएफ प्राइम टावर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110020, गाजियाबाद
शाखा कार्यालयः सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एफ-601, सातवीं मंजिल, आदित्य कॉर्पोरेट हब, आरडीसी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201002
संपर्क व्यक्तिः अविनाश चंद्र (संग्रह- एवीपी) - 9560789334, अभिनव कुमार पाठक - 9415395157

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(बी) के परंतुक देखें]
निजी संधि सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कर्जदार/रों से देय राशि की वसूली हेतु नीचे उल्लिखित प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने के उपरांत, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफों में हमारे कब्जे में अचल संपत्ति, जैसा कि नीचे वर्णित है, की खरीद के लिए **''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वही है''** के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/ऋण खाता संख्या/शाखा	सूचना की तिथि तथा बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि [ईएमडी] (आरपी का 10%)
1.	चंदना मैती गुछैत/ संजीब गुछैत/ HLNLAPYMH0001887/ गाजियाबाद	13-03-2026 रु. 6,17,593/- (रुपए छह लाख सत्रह हजार पाँच सौ तिरानवे मात्र)	अचल संपत्तियाँः दुकान संख्या 7, भूतल (छत के अधिकार के बिना), मकान संख्या 141 (नया संख्या 152 और 153, वर्तमान संख्या 165 और 166), ग्राम पक्की मोरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001	रु. 6,17,593/- (रुपए छह लाख सत्रह हजार पाँच सौ तिरानवे मात्र)	रु. 61,759/- (रुपए इकसठ हजार सात सौ उनसठ मात्र)
2.	चंदना मैती गुछैत/ संजीब गुछैत/ HLNLAPGZB0002347/ गाजियाबाद	13-03-2026 रु. 8,24,360/- (रुपए आठ लाख चौबीस हजार तीन सौ साठ मात्र)	अचल संपत्तियाँः दुकान संख्या 06, भूतल (छत के अधिकार के बिना), प्लॉट संख्या 141 (नया संख्या 152 और 153, पुराना संख्या 165 और 166), पक्की मोरी, जिला- गाजियाबाद, उ.प्र.-201001	रु. 8,24,407/- (रुपए आठ लाख चौबीस हजार चार सौ सात मात्र)	रु. 82,440/- (रुपए बयासी हजार चार सौ चालीस मात्र)

1. नीलामी **''जैसा है जहाँ है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वही है''** के आधार पर आयोजित की जा रही है।
2. नीलामी की विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं, जो उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध है।
3. निर्धारित निविदा प्रपत्रों में सीलबंद बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि, सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय ईएमडी और केवाईसी के साथ, **27 मार्च 2026 को 4:00 बजे अप. तक** उपर्युक्त पते पर प्रधान कार्यालय में जमा करनी होगी। जो निविदाएं पूर्ण रूप से भरी नहीं गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4. अचल संपत्ति का निरीक्षण **26 मार्च 2026 को 1:00 बजे अप. से 3:00 बजे अप.** के बीच किया जाएगा।
5. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव नीलामी **28 मार्च 2026 को 1:00 बजे अप. तक** उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर अधिकृत अधिकारी द्वारा खोला जाएगा।
6. एसएमएचएफपीएल किसी भी बकाया वैधानिक सूचना, ऋणभार/कर आदि के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और इन राशि का भुगतान सफल नीलामी खरीदार द्वारा किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति के ऋणभार और स्वामित्व के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और निरीक्षण करके स्वयं संतुष्ट करना होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को एसएमएचएफपीएल के अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के अधीन रखा जाएगा। एसएमएचएफपीएल के प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
8. कर्जदार/जमानती को नीलामी की तिथि से पहले उपर्युक्त राशि का भुगतान करने हेतु **सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन** की बिक्री सूचना दी जाती है। नीलामी की तिथि पर अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और यदि कोई शेष राशि बचती है, तो उसे ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा। यदि कर्जदार बिक्री की तिथि से पूर्व सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को देय राशि का पूरा भुगतान नहीं करता है, तो नीलामी रद्द की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए, ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें, संपर्क व्यक्तिः **अविनाश चंद्र** - 9560789334

दिनांकः 13 मार्च 2026, हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः गाजियाबाद सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

चंबल अभयारण्य

रेत खनन पर अदालत सख्त

भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रूप से रेत निकालने और इससे घड़ियाल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता के पीठ ने कहा कि हाल में उसके समक्ष रखी गई सामग्री से संकेत मिलता है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्धारित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है। अदालत ने कहा, 'हमने हाल के कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों और सीएसआर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संज्ञान लिया है, जिसमें बताया गया है कि जिन संरक्षित क्षेत्रों में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है, वहां बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। इसके कारण घड़ियाल वहां से जा रहे हैं।'

लुप्तप्राय घड़ियाल, पनचीरा सहित कई जलजीवों पर पड़ रहे असर पर उच्चतम न्यायालय ने चिंता जताई और मामले का स्वतः संज्ञान लिया

पीठ ने संकेत दिया कि इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक निर्देशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाले पीठ के समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसे लुप्तप्राय घड़ियाल के लिए सुरक्षित ठिकानों में से एक माना जाता है। इस नदी में अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों में गंगा में रहने वाली डॉल्फिन और इंडियन स्किमर या पनचीरा जैसे खूबसूरत पक्षी भी शामिल हैं।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार चंबल बेसिन में अवैध रेत खनन लंबे समय से एक गंभीर समस्या बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों की रिपोर्टों और जांच में यह सामने आया है कि नियामकीय प्रतिबंधों के बावजूद यहां संगठित खनन गिरोह सक्रिय हैं। इनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि कई बार इस गतिविधि को रोकने की कोशिश कर रहे वन अधिकारियों और पुलिस दल पर हमले भी हुए हैं।

क्षेत्रीय प्रशासन समय-समय पर छापेमारी कर अवैध रूप से निकाली गई रेत को जब्त करता रहा है। हालांकि प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि संगठित गिरोहों की संलिप्तता और निर्माण क्षेत्र से लगातार बनी रहने वाली मांग के कारण यह गतिविधि जारी रहती है।

मासिक धर्म अवकाश मामले पर सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने संबंधी राष्ट्रव्यापी नीति निर्माण का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में कोई महिलाओं को नौकरी नहीं देगा और ऐसा प्रावधान लैंगिक रूढ़ियों को अनजाने में और मजबूत करेगा। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में दिए गए अभ्यावेदन पर विचार कर सकते हैं और सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद मासिक धर्म अवकाश पर नीति बनाने की संभावना की समीक्षा कर सकते हैं। न्यायालय ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अभ्यावेदन पर उचित निर्णय लें। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची के पीठ ने कहा, 'ऐसी याचिकाएं डर पैदा करने के लिए दायर की जाती हैं, ये महिलाओं को हीन बताने के लिए, यह कहने के लिए दायर की जाती हैं कि मासिक धर्म उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है। लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए, जिसे सवेतन अवकाश देना होगा।' पीठ ने शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। **भाषा**

'ट्रांसजेंडर' संबंधी विधेयक पेश

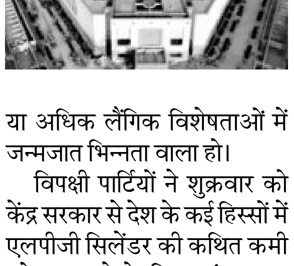

लोक सभा में 'ट्रांसजेंडर' शब्द की उपयुक्त परिभाषा देने और इस वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामले में सजा के प्रावधान वाला विधेयक शुक्रवार को पेश किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने पेश किया। विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही और सुनिश्चित पहचान करना और उनकी सुरक्षा के लिए उपयुक्त परिभाषा देना जरूरी है।

विधेयक में कहा गया है कि 2019 के मौजूदा कानून के तहत दी जाने वाली सुरक्षा और फायदे बहुत व्यापक हैं और इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी पहचान किसी व्यक्ति की किसी खासियत या निजी पसंद या खुद की बताई गई पहचान के आधार पर नहीं दी जा सकती। संशोधन विधेयक में एक नया उपखंड जोड़ा गया है, जिसके अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होगा, जिसकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान 'किन्नर', 'हिजड़ा' अथवा 'जोगता' के रूप में हो या जन्म से ही पुरुष या महिला के शारीरिक विकास की तुलना में एक या अधिक लैंगिक विशेषताओं में जन्मजात भिन्नता वाला हो।

विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से देश के कई हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की, वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

सीईसी के खिलाफ नोटिस

विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पक्षपात और भेदभाव करने सहित अन्य आरोपों को लेकर पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस संसद के दोनों सदनों में सौंपे। सूत्रों ने बताया कि 130 लोक सभा सदस्यों और 63 राज्य सभा सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। **भाषा**

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

• **पंजीकृत कार्यालय :** ग्रेप गार्डन, नं. 27, तृतीय 'ए' क्रॉस, 18वां मुख्य, 6ठवां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरू– 560095, • **क्षेत्रीय कार्यालय :** जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (उत्तर प्रदेश)– 201301,
• **शाखा कार्यालय :** भू तल, नगर निगम सं. 03/311, श्री रामधारी प्लाजा, बनवारी नगर, निरंजनपुरी, तहसील कोइल, अलीगढ़– 202001

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) व 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफॉएसि अधिनियम) 2002 के अंतर्गत विक्रय की सार्वजनिक सूचना। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। विशेष रूप में उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाता में बंधककृत संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी, यहां नीचे अंकितानुसार निर्धारित तिथि पर, **''जैसी है जहाँ है आधार''** एवं **''जैसी है जो है आधार''** पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	13–2 सूचना की तिथि एवं मांग राशि	सॉंकेतिक / भौतिक अधिग्रहण की तिथि	वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य आईएनआर में	धरोहर राशि जमा (धराज) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य की 10%)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	धराज प्रेषण के लिये खाता विवरण
1.	2269210130000015	1) **श्री रोहित सक्सेना पुत्र सतीश चंद्र सक्सेना, निवासी–** गली नंबर 2, पाला होली चौक, खजूर वाली गली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001, अन्य पता यहां पर भी : 13, पाला साहिबाबाद, होली चौक, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश– 202001, **अन्य पता यहां पर भी :** श्री श्याम ट्रेडर्स, प्रोपराइटर– रोहित सक्सेना के माध्यम से, गली नंबर 5, पाला होली चौक के पास, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। **(2) पूजा पत्नी रोहित सक्सेना– निवासी–** गली नंबर 2, पाला होली चौक, खजूर वाली गली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001, **अन्य पता यहां पर भी : पूजा पत्नी रोहित सक्सेना,** 13, पाथवाड़ी वाली चौक, होली चौक, पाला साहिबाबाद, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश– 202001, **अन्य पता यहां पर भी : पूजा पत्नी रोहित सक्सेना,** निवासी– 13, पाला साहिबाबाद, होली चौक, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश– 202001	04.09.2025 रु. 10,39,906/–	27.12.2025 (भौतिक अधिग्रहण)	रु. 11,95,316.80 (26.01.2026 के अनुसार)	06.04.2026 को अप. 2.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 5,15,000/–	रु. 51,500/–	21.04.2026 को 11.00 से 12.00 बजे	20.04.2026 को 4.00 बजे तक	ईएमडी 'उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक' के पक्ष में अलीगढ़ शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस द्वारा खाता संख्या 22011013462001, आईएफएससी : UJVN0002201 में जमा की जाए। संपर्क हेतु व्यक्ति : 1. पार्थ कनासाग्रा : 7040703004; 2. नितिन राणा : 9808318322

संपत्ति का विवरण : ईडब्ल्यूएस हाउस नंबर 453, विकास नगर, एडीए कॉलोनी, आगरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित 27.44 वर्ग गज (22.94 वर्ग मीटर) की फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश। **सीमाएं निम्नानुसार हैं, सीमायें :– पूर्व :** ईडब्ल्यूएस हाउस नंबर 451; **पश्चिम :** झीना; **उत्तर :** कॉलोनी रोड; **दक्षिण :** ईडब्ल्यूएस हाउस नंबर 455

नियम एवं शर्तें :– यह ई–नीलामी **''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' तथा ''वहां जो कुछ भी है''** आधार पर आयोजित की जा रही है।
1. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार, यहां किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, ऋणभारों तथा नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का संस्थापन नहीं करता है और न ही संस्थापन करता हुआ माना जाएगा। संपत्ति को सभी विद्यमान और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है, वह चाहे बैंक को ज्ञात हों अथवा अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. यह बोलीदाताओं का उत्तरदायित्व होगा कि वे बोली जमा करने से पहले परिसंपत्ति एवं विनिर्देशन के बारे में निरीक्षण करें और स्वयं को संतुष्ट करें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति/यों के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित साइटों पर दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी बोली प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई–नीलामी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदात्री– **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी, संपर्क व्यक्ति – श्री प्रभाकरन (मो. नं. 7418281709)। इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट में संपत्तियों के विवरणों के लिए https://www.bankeauctions.com या https://www.ujjivansfb.in/e-auctions पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपने नाम पंजीकृत करने होंगे और अपने यूजर–आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करने होंगे। संभावित बोलीदातागण, सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर– 7291918824, 25, 26 सपोर्ट ईमेल आईडी :– support@bankeauctions.com, नीलामी पोर्टल– https://www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।**
5. संपत्ति, उच्चतम बोली लगाने वाले / प्रस्तावक को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत ऋणदाता, अर्थात् उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन है। हालांकि, आवश्यक समझे जाने पर परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव / निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. **सफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि (ईएमडी)** आंशिक बिक्री विचार के लिए रखी जाएगी और असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75 प्रतिशत बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, किसी भी मामले में ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर 3 महीने से अधिक नहीं, जैसा कि लिखित रूप में सहमति हुई है और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्तावक द्वारा पहले ही जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चूककर्ता क्रेता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन, फोर्स मेजर क्लॉज के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के हित में अंतिम समय में बोली लगाने से बचा जाना चाहिए क्योंकि न तो **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक** और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता इत्यादि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बिजली आपूर्ति बैक–अप इत्यादि जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले पाने में समर्थ हो सकें।
9. **यह सूचना, बंधककृत संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं के लिए एक सूचना भी है।**

दिनाँक : 13–03–2026 स्थान : उत्तर प्रदेश प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक